

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: ~~विपक्षी~~ ~~अभिलेख~~

मुकदमा संख्या: 44/2018

1- प्रेमकाई W/O शंकरलाल दरोगा नि. म०३/पिया

2-.....

---प्रार्थीगण

बनाम  
1- मंगीलाल S/O देवरी कुमहार नि. म०३/पिया

2- शंकर S/O मंगू शील नि. म०३/पिया

3- देवकाई W/O देवरीलाल शंकर नि. म०३/पिया

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू०राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 30/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम म०३/पिया पटवार हल्का म०३/पिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 245, 246, 247 कुल किता 0.3 रकबा 0.3 बीघा 18 बिस्वा स्थित हैं। वाद ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/2/18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम म०३/पिया पटवार हल्का म०३/पिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 245, 246, 247 कुल किता 0.3 रकबा 0.3 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक (मुवा०) को 400 रूपये (अक्षर: 412 रु) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि: तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Receipt  
H